प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) के सीकर -35 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में घोषणा करता हूं कि—

श्री राजेन्द्र पारीक

(नाम)

लसाडिया बास, सालासर बस स्टेण्ड, सीकर, जिला-सीकर (राज0)

(पता)

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खडे किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान : सीकर

दिनांक : 11/12/2018

(गरिमा लाटा) / रिटर्निग आफिसर सीकर –35

FORM-21 C (SEE RULE-64)

(For use in Genral Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act,1951

ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF RAJASTHAN (STATE) FROM SIKAR-35 ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the Provision Contained in section 66 of the Representation of the people Act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1951 declare that:-

Sh. RAJENDRA PAREEK

(Name)

LASADIA BAS, SALASAR BUS STAND, Sikar, Distt.-Sikar (RAJASTHAN)

(Address)

Sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party)
Has been duly election to fill the seat in the House from the above Constituency.

Place: SIKAR

Date: 11-12-2018

(GARIMA LATA) RETURNING OFFICER SIKAR-35